समक्ष में -माननीय सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

निगरानी प्रकरण क्रं.- R-4051-II/12, सन- 2012

1. सुखदेव सिंह तनय स्व. भूरे सिंह आयु 76 वर्ष
निवासी ग्राम ग्योंड़ी तहसील मौदहा जिला हमीरपुर उ.प्र.
2. श्रीमती मीरा सिंह पुत्री स्व. जोधा सिंह आयु 52 वर्ष
निवासी ग्राम माझखोर रमेड़ी तहसील व जिला हमीरपुर उ.प्र.
3. महेन्द्र अग्रवाल तनय स्व. सुन्दरलाल अग्रवाल आयु 44 वर्ष
निवासी छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर म.प्र.
4. श्रीमती प्रेमकुंवर बेवा वीर सिंह आयु 71 वर्ष
5. श्रीमती चन्द्रा सिंह पुत्री स्व. वीर सिंह आयु 50 वर्ष
6. अर्जुन सिंह तनय स्व. वीर सिंह आयु 48 वर्ष
7. भरत सिंह तनय स्व. वीर सिंह आयु 45 वर्ष
8. रघुराज सिंह तनय स्व. वीर सिंह आयु 43 वर्ष
क्रमांक-4 लगायत 8 तक निवासीगण ग्राम सरानी
तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0. -----आवेदकगण/निगरानीकर्तागण

आर. डी. शर्मा, अभि. ... आज दि. 27-11-12 को ... 27-11-12 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 3.25

बनाम

मध्यप्रदेश शासन द्वारा पुलिस अधीक्षक छतरपुर ------ अनावेदक/गैर-निगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक- 11.04.2011 जो योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक-279/निगरानी/अ-6/2002-03 में पारित किया ।

27-11-12

श्रीमान् ,

आवेदकगण/निगरानीकर्तागण सादर निम्नलिखित निवेदन करते है :-

1. यह कि आवेदकगण का संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि हल्कू काछी तनय बल्देव काछी एवं बालकिशन काछी तनय सल्ले काछी निवासी नरसिंहगढ़ पुरवा छतरपुर म0प्र0 द्वारा प्रस्तुत व्यवहार वाद क्रमांक-123ए/94 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक-10.3.95 के आधार पर ग्राम बगौता तहसील (छतरपुर) जिला छतरपुर म0प्र0 स्थित भूमि खसरा क्रमांक-1795/4 क्षेत्रफल 4.50 एकड़ की डिक्री न्यायालय श्रीमान् द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग -2 छतरपुर द्वारा प्रदान की गई थी और डिक्री में नक्शा को डिक्री का भाग माना गया था । जिसमें अनेक लोग प्रतिवादी के रूप में संयोजित थे ।

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4051–दो/2012 जिला– छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
19.9.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 डी0 शर्मा उपस्थित. अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र शुक्ला शासकीय पैनल उपस्थित. उभय पक्षो के अधिवक्ताओ के तर्क श्रवण किये गये. 2. यह निगरानी कलेक्टर जिला–छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 278/अ–6/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 11–04–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है. 3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है प्रकरण में आवेदकगण के पूर्वज वीर सिंह तनय बहोरन सिंह श्रीमती मीरा सिंह पुत्री जोधासिह सुखदेव सिंह तनय भूरेसिंह एवं महेन्द्र तनय सुन्दर लाल अग्रवाल द्वारा तहसीलदार तहसील–छतरपुर के समक्ष मध्यप्रदेश भू– राजस्व संहिता की धारा 115–116 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग –2 छतरपुर द्वारा व्यवहार वाद कमांक 123ए/1994 में पारित निर्णय दिनांक 10–03–1995 के अनुसार पटवारी नक्शों में तरमीम किये जाने के आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर तहसीलदार प्रकरण कायम कर अपने आदेश दिनांक 28–7–2003 द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया जिसके विरूद्ध अनावेदक मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 11–4–2011 को स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया. कलेक्टर के उक्त	अ

आदेश के विरूद्ध यह निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है.

3. आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को मे निगरानी मेंमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हूए तथा लिखित तर्क प्रस्तुत करते हूए निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को कलेक्टर के आदेश को सही होना बताते हूए निगरानी आवेदन निरस्त करने का अनुरोध किया.

4. उभय पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को एवं अभिलेख का मेरे द्वारा अध्ययन किया गया. अभिलेख के अवलोकन से भी यह प्रमाणित होता है कि व्यवहार न्यायाधीश वर्ग –2 छतरपुर के न्यायालय में हल्कू काछी एवं आदि द्वारा ग्राम बगौता स्थित भूमि सर्वे कमांक 1795/4 रकबा 4.50 एकड पर स्वत्व घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया था. उक्त व्यवहार वाद में मध्यप्रदेश शासन जो कि अनावेदक के रूप में पक्षकार था. व्यवहार न्यायालय द्वारा उक्त वाद में दिनांक 10–03–1995 निर्णय एवं जयपत्र पारित करते हूए वादी को भूमि का भूमि पर स्वत्व एवं आधिपत्यधारी होना माना गया तथा वाद के प्रतिवादी कमाक–1 मध्यप्रदेश शासन के विरूद्ध स्थायी निशेधाज्ञा पारित करते हूए वादी के आधिपत्य में किसी प्रकार के हस्तक्षेप न करने के आदेश प्रदान किये गये. उक्त वाद में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील पक्ष समर्थन न करने के कारण निरस्त की गयी है. आवेदक अभिभाषक के तर्को एवं अभिलेख से यह भी प्रमाणित है कि कलेक्टर द्वारा भूमि को नजूल भूमि घोषित करने के पूर्व सम्बन्धित प्रभावित पक्षकारों को कोई सूचना एंव सुनवायी का अवसर प्रदान नही किया गया है. प्रकरण में यह भी प्रमाणित होता है कि व्यवहार न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध जो अपील प्रस्तुत की गयी थी उसमें

शासकीय अधिवक्ता से कार्यवाही न कराते हूए प्रायवेट अधिवक्ता को नियुक्त कर कार्यवाही की गयी है तथा उक्त अपील भी निरस्त की जा चुकी है. कलेक्टर द्वारा इस बिन्दु पर विचार न करते हुए जो कारण तहसील आदेश को निरस्त करने हेतु दिये गये है वे न्यायोचित प्रतीत नही होते है. व्यवहार न्यायालय की निर्णय एवं डिकी राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी है उन्हे उसका अध्ययन करना आवश्यक एवं आज्ञापक है. जब तक ऐसी डिकी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा निरस्त न कर दी गयी हो. ऐसी स्थिति में कलेक्टर जिला–छतरपुर का आदेश न्यायोचित नही कहा जा सकता है. प्रकरण को तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किये जाने का भी कोई औचित्य प्रतीत नही होता है.

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कलेक्टर जिला– छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 278/अ–6/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 11–4–2011 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 22/अ–6/2002–03 में पारित आदेश दिनांक 28–7–2003 स्थिर रखे जाते है. तदनुसार पक्षकार सुचित हो. अधिनस्थ न्यायालाय का अभिलेख वापस भेजा जाये तदोपरान्त अभिलेख दाखिल रिकार्ड किया जाये।

सदस्य